

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3)विभाग

कमांक.प.3(2)कार्मिक / क-3 / जांच / 04


22 OCT 2005
जयपुर, दिनांक

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्र

विषय: वर्कचार्ज कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।

वित्त विभाग के आदेश कमांक प.1(3)वित्त / व्यय-3 / 93 दिनांक 20.9.1995 के द्वारा नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों के संबंध में अन्य राज कर्मचारियों की भांति राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियमों के अनुसार जांच कार्यवाही की जावेगी।


शासन उप सचिव